न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील सं0 30/2020

गिर्राज प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल आयु 61 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी सिकन्दरा रोड बांदीकुई पुलिस थाना बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा।

...अपी0

बनाम

1. अरविन्द्र कुमार पुत्र गिर्राज प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी वार्ड नं02 गुढाकटला रोड बांदीकुई पुलिस थाना बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा।
2. श्रीमती निर्मला पत्नी अरविन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी वार्ड नं02 गुढाकटला रोड बांदीकुई पुलिस थाना बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा।
3. गोविन्द प्रसाद शर्मा पुत्र गिर्राज प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सिकन्दरा रोड बांदीकुई पुलिस थाना बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा।
4. सुश्री पिंकी मीणा प्राधिकारी भरण पोषण अधिकरण बांदीकुई (उपखण्ड अधिकारी) तहसील बसवा जिला दौसा।

..रेस्पो0

अपील अंतर्गत धारा 16 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व निर्णय दिनाकः 30.07.2020 न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बांदीकुई

उपस्थित : 1 श्री सुशील कुमार गुर्जर अधिवक्ता अपी0 पक्ष।
2 श्री विजय कुमार मिश्रा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 02 की ओर से
3 अप्रार्थी सं0 3 उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 22.12.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत न्यायालय उप जिला कलेक्टर बांदीकुई के यहाँ अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। उप जिला कलेक्टर, बांदीकुई ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र

को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक राशि 5000–5000 अदा करने के आदेश प्रदान पारित किये गये है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 उक्त भरण पोषण राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रार्थी के जीवित रहने तक अदा करेगें। अप्रार्थीगण उक्त भरण पोषण की राशि अदा नही करते है तो प्रार्थी नियमानुसार कार्यवाही करके वसूल करने का अधिकारी होगा तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 व 03 को आदेशित किया गया है कि उक्त भरण पोषण राशि बाबत प्रार्थी से कोई हिसाब नहीं लेगें। प्रार्थी अपनी इच्छानुसार उक्त राशि का उपभोग व उपयोग कर सकेगा। प्रार्थी द्वारा चाही गई अन्य रिलीफ अस्वीकार की गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश दिनांक 30.07.2020 सें व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गईं। अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय का तलब किया गया। रेस्पोडैन्ट संख्या 2 व 3 उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं0 02 की ओर से अधिवक्ता विजय कुमार मिश्रा के द्वारा वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नोटिस तामील नहीं हुए है । परंतु रेस्पोडेन्ट सं0 02 जो कि रेस्पोडेन्ट सं0 01 की पत्नि है, जो कि न्यायालय में उपस्थित है।

बहस उभयपक्ष की सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस में दलील है कि अपीलांट शारीरिक रूप से कमजोर एवं वरिष्ठ नागरिक है। रेस्पोडेन्ट सं0 02, रेस्पोडेन्ट सं0 01 के साथ साथ झगडा करती थी। उक्त लोगों ने अपीलांट को भयभीत करके तथा यह आश्वासन देकर के अपीलांट उसके स्वामित्व के रिहायशी मकान जो कि ग्रीन पार्क कालोनी बांदीकुई में है, एवं ऑयल फ्लोर मिल में हिस्सा देने बाबत इकरारनामा लिख देवें तो वे लोग भविष्य में अपीलांट को परेशान नहीं करेंगे तथा अपीलांट की अन्य संपत्ति में हक नहीं मांगेंगे। तथा अपीलांट जब तक जीवित रहेगा वे उसको अपने साथ रखेंगे। खाना खुराक तथा कपडे व दवाई आदि की व्यवस्था करते रहेंगे। अपीलांट को उक्तानुसार भयभीत करके विवश करके उक्त लोगों ने अपीलांट को झूंठे आश्वासन देकर दिनांक 18.1.2019 को एक हक त्याग पत्र पर अपीलांट के हस्ताक्षर करवा लिये। उसके बाद अपीलांट को भयभीत व विवश करके अपीलांट के निजी स्वामित्व के एकमात्र रिहायशी मकान स्थित ग्रीन पार्क कालोनी बांदीकुई का बेचान का दिनांक 21.11.2019 को बिना कोई प्रतिफल की राशि अदायगी के बिक्रीनामा निष्पादित करवा लिया। अपीलांट को बिक्रीनामे के तीसरे दिन ही उक्त मकान से बाहर निकाल दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 04 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.7.2020 को निरस्त फरमाया जाने तथा अपीलांट के प्रार्थना पत्र दिनांक 26.7.2020 को स्वीकार फरमाया जाकर (1)हक त्याग पत्र दिनांक 18.1.2019 तथा बिक्रीपत्र दिनांक 21.1.2019 को शून्य व अवैध घोषित कर निरस्त फरमाया जावे तथा (2)अपीलांट को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा की गई तालाबंदी के कारण हो रही आर्थिक क्षति 50,000/–रू0 मासिक के हिसाब से मय दाण्डिक ब्याज अदा करने का तथा जीएस रिटर्न की देय दाण्डिक राशि कैश क्रेडिट खाते की देय राशि तथा मिल के विद्युत संबंध विच्छेद हो जाने के कारण देय राशि की अदायगी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 2 से अदा करवाये जाने का आदेश पारित फरमाया जावे तथा (3) अपीलांट को उसकी ऑयल मिल की तालाबंदी को हटवाया जावे तथा रिहायशी मकान का कब्जा दिलवाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस मे दलील है कि अपीलान्ट ने बिना तथ्यों को ध्यान दिये यह अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30.07.2020 को विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे गुणावगुण के आधार पर सुनवाई की जाकर अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उचित निर्णय पारित किया है। प्रार्थी द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सें भिन्न तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है, अपील चलने योग्य नहीं है। अपीलान्ट द्वारा अपील मे वांछित अनुतोष दिया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नहीं है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय मे अपने निर्णय दिनांक 30.07.2020 मे प्रार्थीगण का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप सें स्वीकार कर अपीलान्ट को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक राशि 5000–5000 अदा करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 3 को आदेशित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सें भिन्न तथ्यों के आधार पर पेश कर अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय मे चाराजोई कर उक्त अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंन्त्र है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे गुणावगुण के आधार पर सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.07.2020 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 22 दिसम्बर, 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा